



2026:AHK-LKO:18965-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 2579 सन 2026

अंजनी वर्मा

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश
लखनऊ एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : हरीश चन्द्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चन्द्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

1. अधिवक्ता श्री किशन प्रजापति ने प्रतिवादी संख्या 6 और 7 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है। इसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चंद्रा को, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला को और प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री किशन प्रजापति को सुना गया।
3. याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के भाई हैं, ने आरोप लगाया है कि उनके भाइयों, प्रतिवादी संख्या 6 और 7, ने गाटा संख्या 72 पर अवैध निर्माण किया है, जिसके संबंध में पक्षों के बीच एक मुकदमा लंबित है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. याचिकाकर्ता का कहना है कि मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण कार्य किया जा रहा है और लखनऊ विकास प्राधिकरण इस मामले पर निष्क्रिय है।
5. प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला ने कहा कि अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
6. हम प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला द्वारा दिए गए बयान के अनुसार इस रिट याचिका का निस्तारण करते हैं, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आगे की कार्यवाही से पहले संबंधित पक्षों की सुनवाई कानून के अनुसार की जाएगी, लेकिन यदि निजी प्रतिवादी मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण कार्य कर रहे हैं, और यदि ऐसी स्वीकृति आवश्यक है, तो उन्हें आगे न बढ़ने की सलाह दी जाती है; अन्यथा यह उनके लिए जोखिम भरा होगा और इसके परिणाम तदनुसार भुगतने होंगे।
8. हम इस मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, जो कि रिट याचिका के प्रस्तर 3 में उल्लिखित मुकदमे के संबंध में सिविल न्यायालय में लंबित है और कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।
9. उपरोक्त टिप्पणियों / निर्देशों के साथ, रिट याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

मार्च 16, 2026

आर.के.पी./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।